



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

राष्ट्रीय सेवा योजना

email Id :- conssdavv@gmail.com



क्रमांक / रासेयो / कार्या. / 2023-24 / 189

दिनांक :— 24/07/2023

प्रति,

प्राचार्य / निदेशक / विभागाध्यक्ष
रा.से.यो. युक्त संस्थाएँ
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विषय :— राष्ट्रीय सेवा योजना गतिविधियों/कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु प्राचार्य के दायित्व।

संदर्भ :— मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक / 641 / 220 / एनएसएस / 23 / 38, भोपाल
दिनांक 24.07.2023।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत, संदर्भित पत्र संलग्न है का अवलोकन करने का कष्ट करें तथा अपनी—अपनी संस्था में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के सुचारू व सफल संचालन के लिए व्यक्तिगत रुचि लेकर सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें जिससे रासेयो के लक्ष्य “समाज सेवा के माध्यम से छात्र/छात्राओं का व्यक्तित्व विकास” को प्राप्त किया जा सकें।

सादर

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. प्रकाश गढ़वाल)
कार्यक्रम समन्वयक, रासेयो,
देवी अहिल्या वि. वि. इन्दौर

प्रतिलिपि :—

- (1) अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, इन्दौर सम्बाग, मोती तबेला इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
- (2) राज्य एन.एस.एस. अधिकारी, म.प्र शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- (3) उप कार्यक्रम सलाहकार एवं क्षेत्रीय निदेशक, एनएसएस, क्षेत्रीय निदेशालय, ई-1 / 123, अरेरा कॉलोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- (4) समस्त रासेयो जिला संगठक, दे.अ.वि.वि. इन्दौर कृपया पत्र की प्रति अपने स्तर से भी सभी रासेयो युक्त संस्थाओं के प्राचार्यों को उपलब्ध करावे।
- (5) समस्त कार्यक्रम अधिकारी रासेयो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (6) निज सचिव मा. कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
- (7) निज सहायक कुलसचिव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
- (8) प्रभारी आई.टी.सेन्टर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

कार्यक्रम समन्वयक, रासेयो,
देवी अहिल्या वि. वि. इन्दौर

मध्य प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 641/220/2023/रासेयो/38

भोपाल दिनांक 24/07/2023

प्रति,

प्राचार्य

समस्त रासेयो युक्त महाविद्यालय,

मध्यप्रदेश।

विषय:-राष्ट्रीय सेवा योजना गतिविधियों/कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु प्राचार्य के दायित्व।

--0--

राष्ट्रीय सेवा योजना प्रदेश में 24 सितम्बर 1969 से संचालित है। योजना को संचालित होते हुए 54 वर्ष हो गये हैं। इस अवधि में योजना की लोकप्रियता छात्र-छात्राओं में निरन्तर बढ़ी है जिसके फलस्वरूप प्रदेश में योजना का निरन्तर विस्तार हुआ है। यह देखने में आया है कि जहाँ-जहाँ संस्था के प्राचार्य ने रुचि ली है वहाँ योजना लक्षित परिणाम प्राप्त करने में सफल रही है तथा संबंधित क्षेत्रों में योजना क्रियान्वयन में गणमान्य व्यक्ति/जन साधारण ने सहभागिता की है।

शासन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कटिबद्ध है और संस्था प्रमुख होने के नाते प्राचार्य के रूप में आपकी महती भूमिका है। आपसे अपेक्षा है कि:-

- योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सेवा कार्यों में रुचि रखने वाले योग्य एवं अनुभवी शिक्षक को रासेयो कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त किया जाय।
- कार्यक्रम अधिकारियों को रासेयो कार्यक्रमों/गतिविधियों/प्रशिक्षण/ओरिएन्टेशन आदि कार्यक्रमों में सहभागिता के लिये यथासमय कार्यमुक्त किया जाय।
- संस्था प्रमुख महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापकों को आवश्यकतानुसार योजना के संचालन हेतु निर्देशित करें।
- शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में नियमानुसार रासेयो सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर, गतिविधियों के साथ गोदग्राम एवं शिविर ग्राम का चयन करेंगे तथा कार्ययोजना का निर्धारण करेंगे। रासेयो की नियमावली अनुसार रासेयो के सभी निर्देशों का पालन करें।
- कार्ययोजना बनाते समय यह ध्यान रखें कि विद्यार्थियों के अवकाश अवधि का रचनात्मक कार्यों में अधिकाधिक उपयोग हो सके।
- मध्यप्रदेश रासेयो संहिता में दिये गये निर्देशों के अनुरूप रासेयो की नियमित गतिविधियों एवं विशेष शिविर कार्यक्रम आयोजित किये जाए।

निरंतर

- विश्वविद्यालय को जानकारी एवं लेखा यथा समय में उपलब्ध कराएं।
- उच्च स्तर के आयोजनों में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करें।
- रासेयो इकाई हेतु अलग कक्ष उपलब्ध कराएं।
- नियमित गतिविधि तथा विशेष शिविर हेतु मार्गदर्शन प्रदान कर कठिनाईयों का निराकरण करें।
- रासेयो की गतिविधियों में प्राचार्य कार्यक्रम अधिकारियों को पूर्ण सहयोग करें।
- इस बात का ध्यान रखें कि महाविद्यालय में रासेयो इकाई शिथिल न होने पाए।
- कार्यक्रम अधिकारी एवं सहयोगी शिक्षकों की गोपनीय चरित्रावली लिखते समय उनके रासेयो में योगदान का विशेष कर उल्लेख करें।
- प्राचार्य के कार्यों का मूल्यांकन करने तथा रासेयो में उनकी रुचि एवं क्रियाशीलता पर भी विचार किया जाएगा।

जातव्य है कि यह योजना विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं नेतृत्व विकास के लिए अवसर/मंच उपलब्ध कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कृपया निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।


(के.सी.गुप्ता)

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल दिनांक 24/07/2023

पृ0क्रमांक/642/220/2023/रासेयो/38

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र।।
3. कुलसचिव, समस्त रासेयो युक्त विश्वविद्यालय, म.प्र.
4. उपकार्यक्रम सलाहकार/ क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय रासेयो क्षेत्रीय केन्द्र, ई-1/123 अरेरा कालोनी, भोपाल।
5. कार्यक्रम समन्वयक, समस्त रासेयोयुक्त विश्वविद्यालय, म.प्र.-की ओर इस आशय से कि विश्वविद्यालय क्षेत्र के रासेयो युक्त महाविद्यालयों/विद्यालयों के प्राचार्य, जिला संगठक एवं कार्यक्रम अधिकारियों को पत्र की प्रति तत्काल प्रेषित कर विभाग को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
6. समस्त रासेयो जिला संगठक, संबंधित महाविद्यालय, म.प्र.।
7. आई.टी. प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा संचालनालय मध्यप्रदेश -की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग